मध्य प्रदेश शासन
जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल-462004
::आदेश::

भोपाल,दिनांक 6 । अप्रैल, 2011

क्रमांक एफ-2-21/2006/जसं/24 राज्य शासन,मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2008 के माध्यम से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को सहायक संचालक, जनसम्पर्क के पद पर वेतन बैंड रू 15000-39100+ग्रेड वेतन रू. 5400 में नियुक्त कर उन्हें कालम-4 में दर्शाये गये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

स.क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित चयन सूची का क्रमांक एवं अनुक्रमांक	उम्मीदवार का नाम एवं वर्तमान पता	पदस्थापना का स्थान
01	01/ 216526	**श्री संजीव कुमार पाठक (सामान्य वर्ग)** पुत्र श्री रमेशचन्द्र पाठक, मकान नं.237 15 ''क" कोल्ड स्टोरेज के पास,तिलैगा निवाड़ी जिला टीकमगढ़ **वर्तमान पता-** द्वारा श्री महेश कुमार शर्मा,गली नं. 1 नहरवाली माता रोड, चन्द्रवदनी,थाना झांसी रोड, ग्वालियर	संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय, **ग्वालियर**
02	02/316351	**श्री मुकेश कुमार सोनी (अन्य पिछड़ा वर्ग)** पुत्र श्री मुरारीलाल सोनी, रामगोपाल वार्ड,रतन बजरिया,हटा जिला दमोह	संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय, **इन्दौर**
03	03/318485	**श्रीमती बबीता इन्दुरख्या (मिश्रा) (सामान्य महिला वर्ग)** जी-12 शालीमार पार्क,कोलार रोड, भोपाल **वर्तमान पता-** बबीता इन्दुरख्या मकान नं.1,रानीचरी हिल्स,सागर	जिला जनसम्पर्क कार्यालय, **छिन्दवाड़ा**
04	04/278693	**श्री आशीष कुमार शर्मा (सामान्य वर्ग)** सुख निवास कोठी,कॉलेज के सामने राजगढ़ रोड़ व्यावरा जिला राजगढ़	जिला जनसम्पर्क कार्यालय, **सीहोर**
05	05/264851	**श्री माथन सिंह उइके (अ.ज.जा.)** ग्राम बसनिया (चायटोला) पो.केवलारी तहसील भुआ बिछिया जिला मण्डला	जिला जनसम्पर्क कार्यालय, **धार**

2. चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता लोकसेवा आयोग की मुख्य चयन सूची के अनुसार रहेगी।

3. मध्यप्रदेश जनसम्पर्क (राजपत्रित सेवा) भर्ती नियम 1966 (संशोधित) नियम 19 के तहत सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्ति पदभारग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगी। इस अवधि में सम्बन्धित व्यक्ति को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने तथा परिवीक्षा अवधि बढ़ने की स्थिति में नियमित नियुक्ति की अगली वेतनवृद्धि की पात्रता विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही होगी।

4.. नियुक्त अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापना के जिला मुख्यालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शासकीय सेवा में उपयुक्त पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेगा

5. अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के चयनित व्यक्तियों को आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है अतः इन्हें उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः....

6. नियुक्त अधिकारियों का स्थायीकरण,वरिष्ठता,पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश जनसम्पर्क (राजपत्रित सेवा) भर्ती नियम 1966 (संशोधित) के अंतर्गत शासित होगी।

7. मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई तथा स्थाई सेवा) नियम,1966 के नियम 12 के अनुसार ''सेवाएं' किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेंगी।

8. नियुक्त व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह के वेतन भत्तों का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उपयुक्त शर्त (7) के अंतर्गत देय रकम संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

9. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाए जायें और उन्हें लागू किये जायें, के अध्याधीन रहेंगे।

10. पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । साथ ही, छायाप्रतियां सत्यापित कराना होगा । सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जायेगा।

11. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र,मूल निवासी प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (किसी अन्य विभाग/निगम/मण्डल में नियुक्त होने की स्थिति में) व अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण मे यदि नियुक्ति पश्चात कोई दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

12. नियुक्त किये गये व्यक्ति को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(लाजपत आहूजा)
उप सचिव
म.प्र.शासन,जनसम्पर्क विभाग,
भोपाल,दिनांक 01 अप्रैल,2011

पृ. क्रमांक एफ-2-21/2006/जसं/24
प्रतिलिपिः-

1.महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
2.आयुक्त,जनसम्पर्क संचालनालय,मध्यप्रदेश,भोपाल की ओर पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
3. आयुक्त संभाग ग्वालियर संभाग,ग्वालियर/इंदौर संभाग,इंदौर/जबलपुर संभाग,जबलपुर/भोपाल संभाग,भोपाल
4. जिला कलेक्टर,ग्वालियर/इंदौर/छिन्दवाड़ा/सीहोर/धार
5. आबकारी आयुक्त,मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर श्री संजीव कुमार पाठक,आबकारी उपनिरीक्षक के संदर्भ में।
6. आयुक्त,वाणिज्यिक कर आयुक्त,महात्मागांधी मार्ग इन्दौर की ओर श्रीमती बबिता इन्दुरख्या (मिश्रा),वाणिज्यिक कर निरीक्षक,भोपाल वृत्त 2 के संदर्भ में।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत,ब्यावरा जिला राजगढ़ की ओर श्री आशीष कुमार शर्मा,संविदा शाला शिक्षक वर्ग-दो के संदर्भ में।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,डिन्डोरी की ओर श्री माथन सिंह उइके,अध्यापक वर्ग दो के संदर्भ में।
9. अपर/ संयुक्त/उप संचालक,संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय ग्वालियर/इन्दौर/जबलपुर/भोपाल
10. सहायक संचालक/सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जिला जनसम्पर्क कार्यालय छिन्दवाड़ा/सीहोर/धार
11. कोषालय अधिकारी,वल्लभ भवन,कोषालय,भोपाल/ जिला कोषालय अधिकारी छिन्दवाड़ा/सीहोर/धार//इन्दौर ग्वालियर
12. विशेष सहायक,माननीय मंत्री जी,जनसम्पर्क विभाग,भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।

13. सम्बन्धित श्री/श्रीमती--की ओर रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. रिकार्ड फाईल।

उप सचिव 1.4.11
म.प्र.शासन,जनसम्पर्क विभाग,